तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल ज़ज मूलाराम़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 35 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मूलाराम सुम्बरा/खमाराम पता गांव सुखमण्डला, पोस्ट नाथड़ाउ, तहसील बालसेर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.01.19 में उसके द्वारा (1) सहकारी समिति गिलाकौर में वर्तमान व्यवस्थापक सहित कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है व अन्य 8 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बालेसर) से जरिये पत्रांक 371 दिनांक 14.02.19 प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न तो इस कार्यालय से संबंधित है तथा न ही इस कार्यालय में उपलब्ध हैं। दूसरे कार्यालय से सूचना प्राप्त कर दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब इस कार्यालय के पत्रांक / आरटीआई /2019/ 109 दिनांक 09.01.2019 द्वारा जरिये रजिस्ट्री अपीलार्थी को भेजा जा चुका है अतः अपील निराधार बेबुनियाद होने से काबिल खारिज है। हम लोक सूचना अधिकारी की उक्त रिपोर्ट से सहमत नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत सूचना का आवेदन प्राप्त होने पर यदि लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से सूचना संबंधित नहीं होने पर धारा 6(3) के तहत अन्य विभाग से सूचना संबंधित होने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित करने का प्रावधान है, न कि प्रार्थी को लौटाना। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसा न कर प्रार्थी को मूल प्रार्थना पत्र पुनः प्रेषित कर दिया गया जो विधिक प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है अतः लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए निस्तारण करे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।	